(15 पृ 22)

Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010

Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 13.03.2009 का कार्यवाही विवरण

उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची :–

1	डॉ. पी.एल. अग्रवाल कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2	श्री मेवाराम जाट, कोषाधिकारी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	श्री गजेन्द्र सिंह, (आर.ए.एस.) उप शासन सचिव प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
4	प्रो. आर.सी. मिश्रा प्रति कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
5	श्री डी.एल. मीणा कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
6	प्रो. एन.पी. कौशिक परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य
7	डॉ. देवराज वित्त अधिकारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

वि.स.क्र. 3.1 : **वित्त समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि :–**

वित्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 26.03.2008 को प्रातः 11 बजे कुलपति कक्ष में प्रोफेसर दामोदर शर्मा, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/08/7910-7921 दिनांक 31.03.2008 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 7 से 16 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि निम्नानुसार की गई :–

(i) कार्यवाही विवरण के बिन्दु 2.9 के अन्तर्गत 3 सदस्यीय समिति (कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष सिविल) का गठन किया जाये, जो कि परामर्श शुल्क एवं परीक्षण शुल्क के प्रस्तावित नियमों को समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बिन्दु संख्या 2.10 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि निविदादाताओं से प्रतिभूति निक्षेप बैंक गारन्टी के रूप में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की जायेगी।

(ii) बिन्दु संख्या ~~2.15~~ 2.14 एवं ~~2.16~~ 2.15 में की गई अनुशंसा का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करने हेतु निम्न समिति के गठन का निर्णय लिया गया :–

1. कुलसचिव
2. निदेशक (विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय)
3. वित्त अधिकारी

+(iii) बिन्दु संख्या ~~2.19~~ 2.21 के अन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रक द्वारा अन्य तकनीकी विश्वविद्यालयों की दरों का तुलनात्मक विवरण माननीय कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

वि.स.क्र. 3.2 : द्वितीय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2008 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।

द्वितीय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2008 द्वारा की गयी अनुशंसाओं का अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड से होना शेष है। प्रबन्ध बोर्ड के

अनुमोदन के उपरान्त पालना प्रतिवेदन वित्त समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

इतने लम्बे समय तक भी वित्त समिति की सिफारिशें प्रबन्ध बोर्ड में नहीं रखे जाने पर खेद व्यक्त किया गया। अब यथाशीघ्र प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आयोजित कर वित्त समिति की सिफारिशें प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ रखे जाने की अनुशंसा की गई।

वि.स.क्र. 3.3 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की निजी आय का वर्ष 2009–10 का अनुमानित बजट एवं संशोधित बजट वर्ष 2008–09 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2008–09 का अनुमानित बजट 2210.35 लाख रूपये द्वितीय वित्त समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2008–09 का संशोधित बजट 1407.00 लाख रूपये एवं वर्ष 2009–10 का अनुमानित बजट 2620.15 लाख रूपये परिशिष्ट–2 पृष्ठ संख्या 17 से 27 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति ने बजट का अवलोकन कर अनुमोदन किया। वित्त समिति यह अपेक्षा करती है कि भविष्य में विश्वविद्यालय की निजी आय का बजट राजस्व/पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत अलग–अलग बनाया जाये तथा आयोजना एवं आयोजना भिन्न बजट का विवरण भी वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ रखा जावे।

वि.स.क्र. 3.4 : आयोजना भिन्न बजट वर्ष 2008–09 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में आयोजना भिन्न बजट में संवेतन मद में राशि रूपये 565.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2008–09 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–3 पृष्ठ संख्या 28 से 29 पर उपलब्ध है। स्वीकृत राशि में से राज्य सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 141.25 लाख रूपये राशि के अतिरिक्त संवेतन मद में होने वाला व्यय विश्वविद्यालय की निजी आय से समायोजित किये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

यदि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शेष राशि प्राप्त नहीं होती है तो समिति आयोजना भिन्न मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय की निजी आय से समायोजित करने की अनुमति प्रदान करती है।

वि.स.क्र. 3.5 : आयोजना बजट वर्ष 2008–09 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में 95.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2008–09 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–4 पृष्ठ संख्या 30 से 33 पर उपलब्ध है। इस मद में आदिनांक तक कोई राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गयी है। फरवरी 2008 तक 23.80 लाख रूपये व्यय हुआ है एवं माह मार्च में लगभग 10.00 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है। अतः इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक राज्य सरकार से राशि प्राप्त न होने पर कुल 33.80 लाख रूपये विश्वविद्यालय की निजी आय से समायोजित किये जाने हैं। अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति प्रस्ताव का अनुमोदन करती है।

वि.स.क्र. 3.6 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनं स्थिरीकरण को अनुमोदन करने के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक कर्मचारियों को राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ/11 (7)एफ.डी.(नियम) 2008 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार वेतन स्थिरीकरण कर एरियर का भुगतान कर दिया गया है।
अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 3.7 : राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12(12)वित्त/नियम 82 पार्ट–I दिनांक 04.04.2002 (परिशिष्ट–5 पृष्ठ संख्या 34) के द्वारा राज्य कर्मचारियों को कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण के लिए प्रत्यारोपण की लागत का पुनर्भरण करने का प्रावधान चिकित्सा परिचर्या नियमों में नहीं होने के कारण नियमों में शिथिलीकरण देते हुये राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाती है :–

01	घुटना प्रत्यारोपण (प्रत्येक)	रू. 50,000/–
02	कूल्हा प्रत्यारोपण	रू. 40,000/–
03	श्रवण यन्त्र	रू. 5,000/–
04	घुटने से नीचे की टांग का प्रत्यारोपण	रू. 35,000/–

उपरोक्त सहायता वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर नियमों में शिथिलता देते हुये उपलब्ध करवायी जाती है।
विश्वविद्यालय राजस्थान का एक मात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है और तकनीकी कार्यो में दुर्घटनाओं की संभावना अत्यधिक होने के कारण विश्वविद्यालय के कार्मिकों को विश्वविद्यालय के स्वयं के स्त्रोतों से अर्जित आय/कर्मचारी कल्याण कोष अथवा दोनों से मिलाकर उक्त आदेशानुसार चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक समिति गठन का प्रस्ताव है, जो प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर वित्तीय सहायता हेतु माननीय कुलपति को अनुशंसा करेगी। वित्तीय सहायता हेतु कार्मिक को उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वरूप रसीद/बिल की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा इस प्रयोजन से अन्य स्त्रोतों से किसी प्रकार की कोई अन्य सहायता नहीं लेने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा चिकित्सा दावों हेतु प्राप्त दावों का परीक्षण करने हेतु निम्न समिति गठित करने की सिफारिश की गयी :–

1	कुलसचिव	अध्यक्ष
2	वित्त अधिकारी	सदस्य
3	निदेशक अकादमिक	सदस्य
4	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

यह समिति प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर रिपोर्ट निर्णयार्थ माननीय कुलपति को प्रस्तुत करेगी।

वि.स.क्र. 3.8 : एम.बी.ए. विभाग के लिए भवन निर्माण के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वंविद्यालय में वर्ष 2008 से एम.बी.ए. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है जो वर्तमान में यांत्रिकी विभाग में चल रहा है इस कारण यांत्रिकी विभाग में भी भवन की कमी चल रही है।
अतः एम.बी.ए. पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन हेतु अलग से भवन बनाने हेतु समन्वयक एम.बी.ए. ने 3,69,60,000/– रूपये की कार्य योजना प्रस्तुत की है। (परिशिष्ट–6 पृष्ठ संख्या 35 से 36) प्रथम चरण में एक कक्षा कक्ष, ट्यूटोरियल कक्ष एवं सेमीनार कक्ष आदि सुविधाओं के लिए 1,20,00,000/– रूपये का भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय की भवन एवं निर्माण समिति में रखने का निर्णय लिया गया। समिति की अनुशंसा पर माननीय कुलपति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

वि.स.क्र. 3.9 : पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध बोर्ड की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू करने हेतु पेंशन समिति का गठन किया गया जिसकी सिफारिशें तृतीय प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में बिन्दु संख्या 3.4 पर रखी गई।
तृतीय प्रबन्ध बोर्ड ने पेंशन समिति की सिफारिशों पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की तथा पेंशन योजना की व्यवहारिकता तथा दीर्घकालीन आवर्तक दायित्व (Viability, feasibility & Long term recurring liability) की समीक्षा कर सिफारिशें वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। पेंशन समिति की सिफारिशें परिशिष्ट–7 पृष्ठ संख्या 37 से 39 पर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है। तत्कालीन कुलपति द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखा गया पत्र परिशिष्ट–8 पृष्ठ संख्या 40 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति ने निर्णय लिया कि पूर्व में गठित पेंशन समिति छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली वेतन वृद्धि का प्रभाव देते हुए नयी गणनाएं कर पूर्ण विवरण कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें। तदुपरान्त पेंशन योजना का विस्तृत प्रस्ताव व विवरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये।

वि.स.क्र. 3.10 : विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के समूह दुर्घटना बीमा पॉलिसी के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोटा ने अपने कर्मचारियों के हितार्थ यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड से दिनांक 31.01.2006 से 30.01.2011 तक 5 वर्ष के लिये समूह दुर्घटना बीमा की 1 लाख बीमित राशि तक के लिये पॉलिसी ले रखी है, जिसकी प्रीमीयम राशि रूपये 181/– प्रति सदस्य (5 वर्ष के लिए) की दर से 297 कर्मचारियों का कुल प्रीमीयम 53,757/– भुगतान किया गया था। प्रीमीयम राशि का 50% भाग कर्मचारी द्वारा एवं शेष 50% संस्था द्वारा भुगतान किया जाता रहा है।

वर्तमान पॉलिसी से पूर्व भी महाविद्यालय द्वारा कर्मचारियों का समूह दुर्घटना बीमा करवाया गया था, जिसमें महाविद्यालय के 2 कर्मचारियों की दुर्घटना में मृत्यु के कारण उनके आश्रितों को प्रत्येक को एक–एक लाख रूपये की दावा राशि का भुगतान भी बीमा कम्पनी द्वारा किया जा चुका है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में अधिकांश कर्मचारियों का तकनीकी एवं जौखिमपूर्ण कार्यो में नियुक्त होने के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है तथा वर्तमान में बीमित राशि दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों के आश्रितों को जीवंन निर्वाह हेतु कम पड़ती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का समूह दुर्घटना बीमा करवाये जाने का प्रावधान

है, जिसमें 2 लाख बीमित राशि पर एक वर्ष के लिए 200/– रू. प्रति कर्मचारी प्रीमीयम स्वयं कर्मचारी द्वारा ही वहन किया जाता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का समूह दुर्घटना बीमा की राशि 1 लाख रूपये से यथोचित सीमा तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है। एक लाख रूपये का समूह दुर्घटना बीमा पांच वर्ष की अवधि के लिए कराये जाने पर विश्वविद्यालय को लगभग 50,000/– रू. का भुगतान करना होगा।
प्रस्ताव अनुमोदन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

समिति अनुशंसा करती है कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के समूह दुर्घटना बीमा में बीमित राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया जावे तथा इसकी अवधि 5 वर्ष रखी जावे। प्रीमीयम राशि का 50% भाग कर्मचारी द्वारा एवं शेष 50% विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

वि.स.क्र. 3.11 : भविष्य निधि से ऋण एवं अग्रिम के सम्बन्ध में।

इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोटा में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कोटा को भिजवायी जाती रही है। कर्मचारी को विभिन्न प्रयोजनों पर भविष्य निधि से स्थाई ऋण/आहरण/अग्रिम/सेवानिवृत्ति पर भुगतान आदि की सुविधा प्रदान की जाती रही है।

इन्जीनियरिंग कॉलेज, कोटा को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय बनाये जाने के उपरान्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जयपुर द्वारा दिनांक 08.03.2007 को समाचार पत्रों में आवश्यक सूचना प्रकाशित कर शिक्षण संस्थानों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 से विमुक्त कर दिया एवं भविष्य में कटौती अंशदान की राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाते में जमा करने हेतु मना कर दिया। इसके उपरान्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के ऋण/अग्रिम/भुगतान आदि से सम्बन्धित दावे स्वीकार नहीं किये, जिससे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के प्रयोजनों पर भविष्य निधि संगठन से ऋण प्राप्त नहीं हो सका।
वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि वापिस कर दी है लेकिन व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत नहीं किये है, इस कारण यह ज्ञात नहीं हो पा रहा कि किस कर्मचारी के खाते में कितनी राशि शेष है। अर्जित ब्याज का लेखा–जोखा भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर अभी भी ऋण/आहरण की सुविधा नहीं दी जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त राशि, प्रस्तुत ऋण/आहरण की सूची एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध भविष्य निधि अंशदान की कटौती सूची के आधार पर परिशिष्ट–9 पृष्ठ संख्या 41 पर संलग्न शर्तो के आधार पर कर्मचारियों को भविष्य निधि से आहरण सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अनुशंसा करती है कि कर्मचारी को स्थायी आहरण कर्मचारी के पी.एफ. खाते में 1 अप्रैल को उपलब्ध स्वयं के अंशदान शेष में से दिया जावे। समिति आहरण प्रयोजनों के बिन्दु (A) में मकान कोटा नगर परिषद की सीमा में होने की शर्त को हटाने की अनुशंसा भी करती है।

3.11 सम्बद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण टीम के सदस्यों को मानदेय ***(Table Agenda)***

निदेशक अकादमिक द्वारा यह सूचित किया गया कि AICTE एक ही परिसर में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालन करने की अनुमति प्रदान कर रही है। अतः यह उचित होगा कि विश्वविद्यालय की निरीक्षण टीम एक बार में ही उस परिसर में संचालित एकाधिक पाठ्यक्रमों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निदेशक ने इस हेतु निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया है :–

1 ऐसे संस्थान जहां एक ही पाठ्यक्रम है वहां पूर्व की भांति दो सदस्यों की टीम भेजी जावेगी तथा टीम के सदस्यों को प्रथम प्रबन्ध बोर्ड के बिन्दु संख्या 1.20 में अनुमोदनानुसार पूर्व की भांति प्रति सदस्य एक हजार रूपये मानदेय देय होगा।

2 ऐसे संस्थान जहां दो या दो से अधिक पाठ्यक्रम संचालित है, वहां निरीक्षण टीम में दो के स्थान पर तीन सदस्य होंगे तथा निरीक्षण के लिए दो दिवस प्रदान किये जायेंगे तथा प्रति सदस्य पन्द्रह सौ रूपये का एकमुश्त मानदेय दिया जाना प्रस्तावित है।

निदेशक अकादमिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से कुल व्यय में कमी होगी। अतः वित्त समिति प्रस्ताव के अनुमोदन की सिफारिश करती है।

(डॉ. देवराज)
वित्त अधिकारी

(डॉ. पी.एल. अग्रवाल)
कुलपति

(गजेन्द्र सिंह)

(मेवाराम जाट)
कोषाधिकारी, कोटा

(डी.एल.मीणा)
कुलसचिव

(प्रो. एन.पी.कौशिक)
परीक्षा नियन्त्रक

(प्रो. आर.सी.मिश्रा)
प्रति कुलपति